

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 14/12/2021

क्र. एफ 16-14/2021/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स बेयरलॉकर इंडिया एडिटिक्स प्रा.लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र क्र. 2, ए.बी.रोड, देवास में रु. 316.14 करोड़ के प्रस्तावित स्थाई पूंजी निवेश से पीवीसी स्टेबलाईजर्स निर्माण इकाई में विस्तार एवं आधुनिकीकरण संबंधी प्रस्ताव को निम्नानुसार सुविधाएं दी जाये-

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2020) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 25 प्रतिशत की स्थिर दर से 7 वर्ष की अवधि में शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को योजना अन्तर्गत प्रावधानित निर्यात गणक का लाभ शर्तों के अध्याधीन पृथक से प्राप्त होगा।
2. विद्युत टैरिफ में रियायत - विस्तार परियोजना हेतु विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत लिये गये अतिरिक्त विद्युत भार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रु. 1/- प्रतियूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।
3. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2021) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
4. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
5. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

से तथा आदेशानुसार


(संजय कुमार शुक्ल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 14/12/2021

पृ.क्रमांक एफ 16-14/2021/ए-ग्यारह.
प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 3. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
 4. कलेक्टर, जिला देवास।
 5. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स बेयरलॉकर (Baerlocher) इंडिया एडिटिक्स प्रा. लि., Plot No. 2, Industrial Area No 3, A.B. Road, जिला देवास- 455001।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग